(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1671-तीन/2006 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-7-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 65/2004-05 निगरानी

मनिकचंद केशरवानी पुत्र रामाधार
ग्राम चाकघाट तहसील त्योंथर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

दीपचंद पुत्र रामाधार केशरवानी
ग्राम चाकघाट तहसील त्योंथर जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 14 -09-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-2006 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय त्योंथर में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम चाकघाट की भूमि सर्वे क्रमांक 49/4 के जुज रकबा 10X 60 फुट पर कब्जा दर्ज करने के मांग की। तहसील न्यायालय ने जांच उपरांत आदेश पारित करके अनावेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण क्रमांक 251/अ-6-अ/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-6-2004 से अपील निरस्त

कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग व्दारा प्रकरण कमांक 65/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनावेदक ने ग्राम चाकघाट की भूमि सर्वे कमांक 49/4 के जुज रकबा 10X60 फुट पर कब्जा दर्ज करने के मांग तहसील न्यायालय में की है एंव तहसील न्यायालय से आदेश पारित करके अनावेदक का कब्जा उक्त भूखंड पर दर्ज कराया गया है । तहसील न्यायालय के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने यथावत् रखा है। विचार योग्य है कि क्या किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का संहिता की धारा 115 सहपठित 116 के अधीन कब्जा दर्ज किया जा सकता है, जबकि ग्राम चाकघाट की भूमि सर्वे कमांक 49/4 के जुज रकबा 10X60 फुट रहायशी भूखंड होना प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत कृषि भूमि पर कब्जे की नवीन प्रविष्टि दर्ज नहीं की जा सकती, अपितु संहिता की धारा 114 के अंतर्गत तैयार किये गये अभिलेख में यदि त्रृटिवश अशुद्ध प्रविष्टि हो गई है, इन धाराओं के अधीन त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि शुद्ध की जा सकती है। (शांतिदेवी विरूद्ध म.प्र.राज्य 2011(III) M.P.J.R. 370 (DB) से अनुसरित) संहिता की धारा 116 के अंतर्गत त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि शुद्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिये प्रावधान है जिसमें त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि के एक वर्ष के भीतर पीड़ित पक्षकार को आवेदन देना होगा। इन धाराओं में नवीन आधिपत्य की प्रविष्टि किये जाने का प्रावधान नहीं है आधिपत्य की प्रविष्टि के संबंध में प्रावधान न होने से नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती। (रामचरण विरूद्ध चैनावाई 1998 रा.नि. 211 से अनुसरित) तहसील न्यायालय व्दारा कब्जा दर्ज करने के संबंध में दिया गया आदेश सही नहीं है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने ध्यान न देने में भूल की है।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से ग्राम चाकघाट की भूमि सर्वे कमांक 49/4 के जुज रकबा 10X60 फुट रिहायशी भूखंड होना प्रतीत होता है तब यह जॉच का विषय है कि शासकीय अभिलेख में उक्त भूखंड कृषि भूमि अंकित है अथवा रिहायशी भूखंड - जिसके कारण स्थल पर जॉच भी आवश्यक है जो उपलब्ध अभिलेख से परिलक्षित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 65/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-2006 , अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के प्रकरण कमांक 251/अ-6-अ/ 2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-6-2004 तथा तहसील न्यायालय द्वारा कब्जा दर्ज करने के संबंध में दिया गया आदेश त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार त्योंथर कों इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है स्वयं वादग्रस्त भूमि का स्थल निरीक्षण करें तथा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर